न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 32 / 2023 अपील (GCMS 2023/42)
पंजीयन दिनांक– 20 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक– 06 / 06 / 2024

1. श्रीमती मणी अग्रवाल पत्नि गोविन्द अग्रवाल, निवासी मंगलदीप, 2 पंचवटी, उदयपुर, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री दुर्गासिंह शक्तावत — अधिवक्ता अपीलांट
2. मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक — अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 67 / 2021
निर्णय दिनांक 12.10.2022

निर्णय

दिनांक 06 / 05 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 67 / 2021 निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जसपुरा, पटवारी क्षेत्र गुपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर की साबिक आराजी नम्बर 225/14 कुल किता 1 कुल रकबा 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर उक्त भूमियां मुझे पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2011 के मूल खातेदार श्री मोहनसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत एवं श्रीमती सरस कुंवर बेवा भेरूसिंह राजपूत से बिल एवं 13,80,000/– अक्षरे तेरह लाख अस्सी हजार रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया, तद्नुसार जरिये नामांतरकरण संख्या 517 दिनांक 20.09.2011 के उक्त भूमियां राजस्व रिकार्ड में मुझ प्रार्थीया के नाम पर नामांतरित हुई व तद्नुसार जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज हुई। सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पूर्व के साबिक आराजी संख्या 225/14 का कुल रकबा 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर को सहवन से नवीन आराजी संख्या 668 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कर दिया जबकि प्रार्थीया के नाम पर राजस्व रिकार्ड में साबिक आराजी में 15 बीघा भूमि दर्ज थी, जिसका नवीन मेटोकुलेशन भू–माप के अनुसार रकबा 3.2400 हैक्टेयर होता है, जो वस्तुतः सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नवीन नक्शें व आराजी नम्बर के मुताबिक कुलिया क्षेत्रफल 3.2400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सेटलमेंट अधिकारियों को रकबे में कमी या बढ़ोतरी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है, उन्हें केवल मात्र पूर्व की प्रविष्टियों की पुनरावृति ही करनी होती है, बावजूद इसके सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा पूर्व की प्रविष्टियों की पुनरावृति नहीं कर साबिक नम्बर 225/14 कुल रकबा 3.2400 हैक्टेयर के नवीन आराजी संख्या 688 कर महज 0.4200 हैक्टेयर कर दिया

गया। इस प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों के द्वारा हस्तगत प्रकरण में विधि एवं रिकार्ड की भारी भूल कारित की गई है, इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समस–समय पर अपने अनेकानेक निर्णयों में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि सेटलमेंट अधिकारी को रकबे में घटत–बढ़त करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें केवल पूर्व की प्रविष्टियों की पुनरावृति ही करनी होती है, बावजूद इसके सेटलमेंट अधिकारियों ने उनके क्षेत्राधिकार से परे जाकर राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों की पुनरावृति नहीं कर आराजी संख्या 225/14 के रकबे में 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर के बजाय नवीन आराजी नम्बर 688 में कमी रकबा करते हुए 0.4200 हैक्टेयर कर दिया जबकि वस्तुतः नवीन आराजी का रकबा 3.2400 हैक्टेयर होना चाहिए, अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम जसपुरा पटवार क्षेत्र गुपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर के नवीन आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर को सेटलमेंट से पूर्व की साबिक आराजी नम्बर 225/14 रकबा 3.2400 हैक्टेयर के अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में प्रार्थीया के नाम पर कुल 3.2400 हैक्टेयर भूमियां साबिक रिकार्ड दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 67/2021 निर्णय दिनांक 12.10.2022 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जसपुरा, पटवार हल्का गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर की नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 पर दर्ज साबिक आराजियात 225/14 कुल किता 1 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड को नक्शे सहित मिलान करते हुए राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति बहाल की जाए के आदेश पारित किये जाने से

व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.10.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–" ***प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जात है तथा तहसीलदार, वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जसपुरा, पटवार हल्का गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर की नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 पर दर्ज साबिक आराजियात 225/14 कुल किता 1 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड का नक्शे सहित मिलान करते हुए राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति बहाल की जाए।***"

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित, रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.04.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एवं यह माना कि अपीलांट का सेटलमेंट पूर्व रकबा 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर था, जिसे घटाकर बिना किसी कारण के 0.4200 हैक्टेयर कर दिया गया जिससे अपीलांट अपना रकबा 3.2400 हैक्टैयर करवाने की अधिकारिणी है तथा इस संबंध में रेस्पोडेंट के द्वारा भी अपीलांट को 3.2400 हैक्टेयर भूमि पर मौके पर काबिज होना स्वीकार किया गया है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी शर्त अध्यारोपित कर दी गयी जिससे अधीनस्थ न्यायालय के स्वयं के निर्णय की पालना नहीं की जा

सकी है, इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपने आप में अंर्तविरोधी होकर निर्णय की कलम संख्या 09 में अध्यारोपित शर्त की हद तक दुरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिती थी कि अपीलांट का साबिक आराजी में 15 बीघा अर्थात 3.4200 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी एवं वर्तमान में अपीलांट मौके पर 3. 2400 हैक्टेयर भूमियों पर काबिज है, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान स्थिति में मौके पर काबिज अनुरूप अपीलांट के रकबे में सुधार किये जाने का आदेश प्रदान करना चाहिए था। अपीलांट के पूर्व विक्रेता के पिता व पति भेरूसिंह पिता तेजसिंह को उक्त भूमियां आवंटित होकर गेर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हुए तथा साबिक रिकार्ड में तो उक्त भूमियां 225/14 अंकित करायी गयी किन्तु मौके पर राजस्व कर्मियों ने मूल आवंटि को कब्जा सूपूर्द किया व आराजी संख्या 225 मीन के साथ–साथ आराजी संख्या 234 मीन में भी सूपूर्द किया गया जो कि दोनो आराजियात बिलानाम एवं आवंटन योग्य होकर मूल आवंटी मौके पर साबिक आराजी नम्बर 225 मीन एवं 234 मीन पर काबिज हुआ एवं उसने इन्हीं भूमियों को विकसित कर कृषि योग्य बनाया जिसके आधार पर उसे खातेदारी प्राप्त हुई, किन्तु राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मियों ने त्रुटिवश आवंटी की आराजी संख्या 225/14 अंकित हो गया जबकि जिन 15 बीघा भूमियों को आवंटी ने विकसित कर कृषि योग्य बनाते हुए कब्जे काश्त किया गया वे साबिक आराजी संख्या 225 मीन के साथ–साथ 234 मीन थी, जिनके अनुरूप अपीलांट मौके पर काबिज है, जिसकी स्वीकारोक्ति रेस्पोडेंट के द्वारा भी की जाकर मौके पर इसी अनुरूप नवीन आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के साथ–साथ बिलानाम काबिल काश्त आराजी संख्या 751 रकबा 2.0300 हैक्टेयर आराजी संख्या 752 रकाब 0.4100 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 748 रकबा 0.9500 हैक्टेयर में से 0.3800 हैक्टेयर

कुल 3.2400 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट काबिज है, जिस अनुरूप पूर्व की राजस्व कर्मियों एवं सेटलमेंट के द्वारा की गई त्रुटि को मौके अनुरूप दुरस्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 12.10.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.10.2022 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को पेश की गयी जिसके सन्दर्भ में दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन देते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार के समक्ष अपीलाधीन निर्णय की पालना हेतु निवेदन किया, किन्तु उनके द्वारा आलोच्य शर्त अधिरोपित किये जाने से निर्णय की पालना में अक्षमता जाहिर की गई जिस पर अपीलांट के द्वारा सम्यक तत्परता के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई, ताइद में शपथ–पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ–पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम जसपुरा पटवार क्षेत्र गुपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दरोली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर के नवीन आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर को सेटलमेंट से पूर्व

की साबिक आराजी नम्बर 225/14 रकबा 3.2400 हैक्टेयर के अनुरूप वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में प्रार्थीया के नाम पर कुल 3.2400 हैक्टेयर भूमियां साबिक रिकार्ड दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 67/2021 निर्णय दिनांक 12.10.2022 से अपीलांट कार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जसपुरा, पटवार हल्का गुपड़ी, तहसील वल्लभनगर की नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 पर दर्ज साबिक आराजियात 225/14 कुल किता 1 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड को नक्शे सहित मिलान करते हुए राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति बहाल की जाए के आदेश पारित किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में स्पष्ट है कि ग्राम जसपुरा, पटवार मण्डल गुपडी, तहसील वल्लभनगर की नकल जमाबंदी संवत् 2031–34 पर दर्ज आराजी संख्या 225/14 रकबा 15 बीघा भूमि श्री भेरूसिंह पिता तेजसिंह के नाम दर्ज थी। विरासत से नकल जमाबंदी 2068–71 पर दर्ज उक्त आराजी नम्बर 225/14 रकबा 15 बीघा भूमि मोहनसिंह पिता भेरूसिंह, मु. सरस कुंवर बेवा भेरूसिंह राजपुत सा. देह के नाम दर्ज हुई। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2011 द्वारा क्रय किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामांतरकरण संख्या 517 द्वारा पारित कर उक्त भूमि प्रार्थीया श्रीमती मणी अग्रवाल के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि की साबिक नक्शे में तरमीम भी थी। भू–प्रबंध विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं तरमीम का कार्य पूर्ण कर क्षेत्रफल तुलनात्मक पत्र जारी किया गया। भू–प्रबंध के पश्चात् साबिक आराजी 225/14 रकबा 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर भूमि के हाल आराजी नम्बर 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कायम किये गये।

- राजस्व ग्राम जसपुरा में दौराने सेटलमेंट सेटलमेंटअधिकारियों के द्वारा पूर्व के साबिक अराजी संख्या 255/14 का कुल रकबा 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर को सहवन से नवीन आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर मात्र कर दिया जबकि अपीलांट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में साबिक आराजी में 15 बीघा भूमि दर्ज थी, जिसका नीवन मेट्रीकुलेशन भू–माप के अनुसार 3.2400 हैक्टेयर होता है, जो वस्तुतः सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नवीन नक्शें व आराजी नम्बर के मुताबिक कुलिया क्षेत्रफल 3.2400 हैक्टेयर भूमियां अपीलांट के नाम पर दर्ज की जानी चाहिए थी। सेटलमेंट अधिकारियों को रकबे में कमी करने का कोई अधिकार नही था, उन्हें केवल पूर्व की प्रविष्टियों की पुनरावृति ही करनी होती है। आराजी संख्या 225/14 के रकबे में 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर के बजाय नवीन आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टैयर कर दिया, जबकि नवीन आराजी का रकबा 3.2400 हैक्टेयर होना चाहिए था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाब/रिपोर्ट पेश करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीया का उसकी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के साथ बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी संख्या 751 रकबा 2.0300, आराजी संख्या 752 रकबा 0.4100 हैक्टेयर एवं बिलाना काबिल काश्त आराजी संख्या 748 रकबा 0.9500 हैक्टेयर में से 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.2400 हैक्टयर पर कब्जा होना बताया गया है।

- उक्त रेस्पोडेंट तहसीलदार, वल्लभनगर की जवाब/रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया मणी अग्रवाल पत्नि गोविंद अग्रवाल के नाम से ग्राम जसपुरा पटवार मण्डल गुपडी, तहसील वल्लभनगर के राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2068–71 में आराजी नम्बर 225/14 रबा 15 बीघा कृषि भूमि दर्ज है। वर्तमान सेटलमेंट रिकार्ड हैक्टेयर जमाबंदी संवत् 2078–81 में

प्रार्थीया मणी अग्रवाल के नाम ग्राम जसपुरा, पटवार मण्डल गुपडी में आराजी नम्बर 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज है। मौके पर प्रार्थीया का रिकार्ड भूमि के अलावा ग्राम जसपुरा, पटवार मण्डल गुपडी की आराजी नम्बर 751 रकाब 2.0300 किस्म गैर मु. मगरी बिलानाम काश्त, आराजी नम्बर 752 रकबा 0.4100 किस्म गैर मगरी बिलानाम गैर काबिल काश्त, आराजी नम्बर 748 रबा 0.9500 हैक्टेयर बीड बिलानाम काबिल काश्त में से 0.3800 हैक्टेयर पर कब्जा है। प्रार्थीया का कब्जा आराजी नम्बर 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 751 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 752 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 748 रकबा 0.9500 हैक्टेयर में से 0.3800 हैक्टेयर किता 4 रकबा 3.2400 हैक्टेयर पर कब्जा है। आराजी नम्बर 751, 752 का पुराना आराजी नम्बर 234 मीन है। प्रार्थीया की भूमि 225/14 रकबा 15 बीघा है, परंतु प्रार्थी का कब्जा पुराना आराजी नम्बर 234 मीन में भी है।

- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति थी, कि अपीलांट का साबिक आराजी में 15 बीघा अर्थात 3.2400 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एवं वर्तमान में अपीलांट मौके पर 3.2400 हैक्टेयर भूमियों पर काबिज है, तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान स्थिति में मौके पर काबिज अनुरूप अपीलांट के रकबे में सुधार किया जाना चाहिए था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिक एवं हाल नक्शों का मिलान कर राजस्व रेकार्ड में रद्दोबदल करने का आदेश प्रदान कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निहित परिस्थिति थी कि हाल एवं साबिक राजस्व रेकार्ड में त्रुटि होने के कारण ही अपीलांट के रकबे एवं नक्शे में कमी हुई, तो ऐसी स्थिति में हाल एवं साबिक नक्शे का मिलान उक्त त्रुटि के कारण संभव नही था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 की कलम संख्या 9 में वर्णित आदेश ग्राम

जसपुरा, पटवार हल्का गुपडी, तहसील वल्लभनगर की नकल जमाबंदी संवत् 2068–71 पर दर्ज साबिक आराजीया त 225/14 कुल किता 1 रकबा 15 बीघा भूमि के संबंध में साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड का नक्शे सहित मिलान करते हुए राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल कर भू–प्रबंध के पूर्व स्थिति बहाल किये जाने का आदेश उचित नही होने से अपास्त किया जाने योग्य प्रतीत होता है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर का निर्णय दिनांक 12.10.2022 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, वल्लभनगर को आदेश दिया जाता है अपीलांट का कब्जा वर्तमान आराजी संख्या 688 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के साथ–साथ आराजी संख्या 751 रकबा 2.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 752 रकबा 0.4100 तथा आराजी संख्या 748 रकबा 0.9500 हैक्टेयर में से 0.3800 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 3.2400 हैक्टेयर अर्थात 15 बीघा के अनुसार अपीलांट के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में साबिक नक्शे की बजाय साबिक रिकार्ड के आधार पर संशोधन किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर